

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2011

क्र. आर. 347-सीसी-10-अड़तीस.—मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 34 की उपधारा (1), (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-691-सीसी-09, दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 8 अक्टूबर, 2009 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक (4) में, शब्द “सदस्य-सचिव पूर्णकालिक” के स्थान पर, शब्द “सचिव-पूर्णकालिक” स्थापित किए जाएं.

R-347-CC-10-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and (4) of Section 34 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhinyam, 2007 (No. 17 of 2007) the State Government, hereby makes the following amendments in this department's Notification No. R-691-CC-09, dated 8th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 8th October, 2009, namely:—

AMENDMENT

In the said notification in serial number (4), for the words “Meber Secretary-Full Time” the words “Secretary-Full Time” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बंसत प्रताप सिंह, प्रमुख सचिव.

731